1 .विशिष्ट नियम व शर्तें:-

A. **सफल निविदादाता से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह स्वीकृती पत्र की प्राप्ति के तत्काल बाद निविदा के अनुमानित मूल्य का 5% सुरक्षा राशि के रूप मे जमा होगी ।** सुरक्षा राशि आपूर्तिकर्ता को पूर्ण रूप मे केवल तब ही वापस की जायेगी जब वह कार्य के अंतर्गत आपूर्तियों को संतोषजनक रूप से पूरा कर लें और उसके विरूद्ध बकाया वसूल की जाने वाली राशियाँ यदि कोई हो, का समायोजन कर लिया जाये। बीएचईएल, इस जमा राशि पर किसी ब्याज का भुगतान करने की देनदार नहीं होगी । कार्य संतोषजनक पूर्ण होने के बाद सुरक्षा धनराशि वापिस कर दी जाएगी ।

B. आपूर्ति की जाने वाली सामग्री हरी सब्जी/ हरे मसाले/ प्याज उत्तम गुणवत्ता वाली एवं स्वास्थ्यजनक दशाओं मे विधिवत समान मात्रा में पैक की गयी हो तथा खराब या क्षति ग्रस्त न हों । खराब या सडी गली सब्जी पाये जाने पर उसकी मात्रा, आपूर्ति की गयी मात्रा से काट ली जायेगी ।

C. निविदादाता द्वारा आपूर्ति की गई हरी सब्जी/ हरे मसाले/ प्याज का, प्राप्ति के स्थान पर बीएचईएल के अधिकृत अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जायेगा और वे केवल तब ही स्वीकार की जायेंगी जब वह निरीक्षण के समय सही पायी जायें । यदि बीएचईएल चाहेगी तो आपूर्तिकर्ता अस्वीकृत मात्राओं के बदलने की तत्काल व्यवस्था करेगा । आपूर्तिकर्ता अस्वीकृत हरी सब्जी/ हरे मसाले/ प्याज को वापस लेगा तथा अस्वीकृत हरी सब्जी/ हरे मसाले/ प्याज आदि को बीएचईएल परिसर से बिना विलम्ब किये हटवायेगा । ऐसा न होने पर आपूर्तिकर्ता द्वारा न हटायी गयी सब्जी के लिये भूमि किराये का दावा करने का बीएचईएल को अधिकार होगा । इस बारे में कोई सूचना (Notice) देने की अपेक्षा नही की जायेगी । डिलिवरी के समय आपूर्तिकर्ता अथवा उसका अधिकृत सक्षम प्रतिनिधि साथ मे होना चाहियें ।

D. आपूर्तिकर्ता, कैंटीन मुख्य भंडार मे हरी सब्जी/ हरे मसाले/ प्याज आदि की डिलिवरी के लिये किसी परिवहन प्रभार या बारदाने के मूल्य का अधिकारी नही होगा तथा उसे अपनी अधिकृत प्रतिनिधि एवं वाहन इत्यादि के गेट पासों की व्यवस्था स्वयं करनी होगी ।

E. प्लांट में आपूर्ति करने वाले कार्यकर्ताओं की सुरक्षा, पर्यावरण एवं आचरण की जिम्मेदारी पूर्णतः ठेकेदार की होगी। अनाधिकृत कार्य के लिये कैंटीन प्रशासन उत्तरदायी नही होगा। उपर्युक्त के उल्लंघ्न करने पर प्रति व्यक्ति 100/- प्रतिदिन का दंड लगाया जायेगा ।

F. हरी सब्जी/ हरे मसाले/ प्याज के सप्लाई में विलम्ब/दोषपूर्ण/कम या सप्लाई न करने या ठेके की अन्य किसी शर्त के पूरा न करने के मामले में प्रबन्ध मंडल अपूर्ण कार्य/ ठेके को पूरा या उसकी किसी मात्रा को निरस्त करने या अन्य स्रोतों से सप्लायर की जोखिम एवं कीमत पर सामग्री के प्रबन्ध करने का अधिकारी होगा । ठेके के असंतोषजनक निष्पादन या समाप्ति या निरस्त हो जाने की दशा मे सप्लायर द्वारा जमा की गयी सुरक्षा राशि को पूरा या उसका कोई भाग प्रबन्ध मंडल के विवेकानुसार जब्त कर लिया जायेगा । कार्य/ ठेके के निर्वाह की अवधि में यदि कोई जोखिम खरीद के कारण वसूलियां सुरक्षा राशि मे से की जाती है तो आपूर्तिकर्ता को तुरंत पुनः सुरक्षा राशि की पूर्ति के लिये अपेक्षित धनराशि जमा करनी होगी ।

G. प्रबंधक मंडल निम्न अधिकार सुरक्षित रखता है:-

(क) उसी अवधि मे विभिन्न दरों पर एक समान आईटमों की दूसरे निविदादाता से आपूर्ति कराना/ खुले बाजार से खरीदना ।

(ख) सम्बन्धित स्वास्थ्य प्राधिकारियों से सामग्री का परीक्षण कराना ।

(ग) किसी भी समय निविदादाता को 15 दिन का नोटिस देकर बिना कोई कारण बताये कार्य समाप्त करना ।

H. विवाद के सभी मामलों को बीएचईएल, हरिद्वार के कार्यपालक निदेशक/ महा प्रबन्धक (मा.सं.) द्वारा नियुक्त मध्यस्थ व्यक्ति को मध्यस्थता के लिये भेजा जायेगा । मध्यस्थ व्यक्ति का निर्णय अंतिम होगा तथा दोनो पार्टियों के लिये बाध्यकारी होगा । मध्यस्थ व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वह पार्टियों की सहमति से अपना निर्णय देने के लिये समय की अवधि बढा सकता है । किसी भी विवाद की स्थिति मे अधिकार क्षेत्र न्यायालय हरिद्वार होगा ।

I. प्रबन्धिका किसी एक/ सम्पूर्ण निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखती है ।

J. बीएचईएल, हरिद्वार के पास कारण बताये बिना किसी या सभी कोटेशन को अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित है । बीएचईएल के पास निविदा मे दी गयी मात्राओं को बढाने या घटाने का अधिकार भी सुरक्षित है । निविदादाता को अतिरिक्त खर्च बिना, कम मात्रा के लिये आर्डर स्वीकार करने के लिये तैयार रहना चाहिये । निविदादाता को मात्रा मे बढोत्तरी के मामले में मात्रा पर छूट देने के लिये भी तैयार रहना चाहिये ।

K. **हरी सब्जी/ हरे मसाले/ प्याज की आपूर्ति की मात्रा आवश्यकता एवं उपभोग के आधार पर घट या बढ सकती है |**

L. GST न. अथवा PAN नं. की छाया प्रतिलिपि।

M. यदि फर्म या दूकान है तो उस फर्म या दूकान का रजिस्ट्रेशन का छाया प्रतिलिपि।

नोट:-**उपर्युक्त आवशयक दस्तावेज के छाया प्रतिलिपि को स्वयं सत्यापित (Self-Attested) कर इस निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करें ।**

2 . **Unpriced Bid (दर का विवरण):**

क्रमांक	मद	अनुमानित मात्रा 12 माह मे किलोग्राम)	दरें प्रति किलो रुपये मे (GST सहित)	
			अंकों में	शब्दो में
1.	**मौसमी हरी सब्जी:-** लौकी, गोल बैंगन, कद्दू, परवल, टिंडा, कटहल, शिमला मिर्च, करेला, भिंडी, टमाटर, पालक, गाजर, जिमीकन्द, हरी मटर, सेम फली, लोबिया/ फ्रांसबीन,पत्ता गोभी, फूल गोभी, मूली (बिना पत्ता), खीरा आदि।	**42000.00**	**x**	**X**
2.	**हरा मसाला :-** हरी मिर्च, हरा धनिया, नींबू, अदरक आदि	**3600.00**	**X**	**X**
3.	**प्याज** (अच्छी गुणवत्ता का)	**10500.00**	**X**	**X**

हरी सब्जी/ हरे मसाले/ प्याज के दरों मे लागू GST ---------- % है।

L1 WILL BE CALCULATED ON TOTAL (42000KGX QUOTED RATE OF GREEN VEG+3600 KGX QUOTED RATE OF GREEN MASHALA+10500 KG X QUOTED RATE OF ONION)

नोट:- हरी सब्जी/ मसाला/ प्याज की आपूर्ति आवश्यकता के अनुसार प्रतिदिन करनी होगी। दरें भरते समय यहाँ सुनिश्चित कर लें कि दरों मे सभी प्रकार के करों, वाहन व्यय आदि का समावेश कर लिया गया है, दरों के अनुसार ही भुगतान किया जायेगा । अलग से किसी प्रकार का शुल्क/ कर इत्यादि भुगतान नहीं किया जायेगा ।

3. भुगतान की शर्तें (Payments Terms) (OM 21.06.2021, DoE) GeMके नियमानुसार: - बिलों का भुगतान CRAC करने के 90 दिनों मे e-payment /CBS चैक द्वारा किया जायेगा।

MSE-45 DAYS
MEs-60 DAYS
NON-ME/MSEs-90 DAYS

4. **LD (Late Delivery penalty): - Applicable GEM नियमानुसार।**

5. बीएचईएल जीएसटी पंजीकरण का विवरण (The details of GST registration are furnished below for your kind reference:

LEGAL NAME: BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD
GSTIN: 05AAACB4146P1ZL
ARN No: AA050317004931K
PAN NO: AAACB4146P
STATE: UTTARAKHAND
STATE CODE: 05

6. EMD: -Nil (As per Purchase Policy 2013, clause 5A.1)
7. Kindly submit No deviation certificate and Undertaking regarding Conflict of interest as per the attached format.
8. Bids received from same IP address will be outrightly rejected and will not be considered for further evaluation.

Kindly read all the terms and conditions before filling the bid. For any query, contact no: 01334-281557/1305.

9. **"Grievance Redressal Mechanism**

To promote transparency and ensure fair treatment of all bidders, a structured Grievance Redressal Mechanism is in place to address any concerns or issues arising during the tendering process or in subsequent business dealings with the company.

Suppliers/Contractors are requested to follow the below escalation process for grievance resolution:

1. **First Level**: Any grievance should initially be addressed to the designated Dealing Officer, whose contact details are provided in the Notice Inviting Tender (NIT)/Contract.
2. **Second Level**: If the issue remains unresolved, it may be escalated by lodging a formal grievance through the SUVIDHA Portal: https://suvidha.bhel.in/suvidha/. Responses will be provided in accordance with the defined escalation matrix."

ANNEXURE- 3

CERTIFICATE OF NO DEVIATION

(To be Typed & submitted in the Letter Head of the Company/Firm of Bidder)

To,

(Write Name & Address of Officer of BHEL inviting the Tender)

Dear Sir,

Subject: **No Deviation Certificate**

Ref: 1) GeM Bid No: ....,
2) All other pertinent issues till date

We hereby confirm that we have not changed/ modified/materially altered any of the tender documents as downloaded from the website/ issued by BHEL and in case of such observance at any stage, it shall be treated as null and void.

We also hereby confirm that we have neither set any Terms and Conditions and nor have we taken any deviation from the Tender conditions together with other references applicable for the above referred GeM Bid.

We further confirm our unqualified acceptance to all Terms and Conditions, unqualified compliance to Tender Conditions.

We confirm to have submitted offer in accordance with tender instructions and as per aforesaid references.

Thanking you,

Yours faithfully,

(Signature, date & seal of authorized representative of the bidder)

Date:
Place:

<table>
<tr>
<td>Conflict of interest</td>
<td>A bidder shall not have conflict of interest with other bidders. Such conflict of interest can lead to anti-competitive practices to the detriment of Procuring Entity's interests. The bidder found to have a conflict of interest shall be disqualified. A bidder may be considered to have a conflict of interest with one or more parties in this bidding process, if:
a) they have controlling partner(s) in common; or
b) they receive or have received any direct or indirect subsidy/ financial stake from any of them; or
c) they have the same legal representative/agent for purposes of this bid; or
d) they have relationship with each other, directly or through common third parties, <u>that puts them in a position to have access to information about or influence on the bid of another Bidder</u>, or
e) Bidder participates in more than one bid in this bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all bids in which the parties are involved. <u>However, this does not limit the inclusion of the components/ sub-assembly/ Assemblies from one bidding manufacturer in more than one bid</u>; or
f) In cases of agents quoting in offshore procurements, on behalf of their principal manufacturers, one agent cannot represent two manufacturers or quote on their behalf in a particular tender enquiry. One manufacturer can also authorise only one agent/dealer. There can be only one bid from the following:
1. The principal manufacturer directly or through one Indian agent on his behalf; and
2. Indian/foreign agent on behalf of only one principal, or
g) A Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the contract that is the subject of the Bid, or
h) In case of a holding company having more than one independently manufacturing units, or more than one unit having common business ownership/management, only one unit should quote. Similar restrictions would apply to closely related sister companies. Bidders must proactively declare such sister/ common business/ management units in same/similar line of business.</td>
</tr>
</table>